मुकदमा नम्बर 86/2020 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़

मानसिंह पुत्र रामजस जाति जाट निवासी कीतासर भाटियान हाल अमृतवासी तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर। निर्णय दिनांक 16-[illegible]

-प्रार्थी-

-बनाम-

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

-अप्रार्थी-

उपस्थिति:-

1. श्री भागीरथ सिंह अभिभावक वादी
2. पैरोकारराज स्टेट की तरफ से।

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 एल.आर. एक्ट 1956

यह प्रार्थना पत्र मान सिंह ने जरिये अधिवक्ता के मार्फत पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की संयुक्त पैतृक खातेदारी का एक खेत खसरा नम्बर 735 तादादी 18.56 हैक्टेयर वाकेरोही बिग्गाबास रामसरा तहसील श्रीडूंगरगढ़ स्थित है। उक्त खसरा भूमि में प्रार्थी के नाम 1/3 हिस्सा की खातेदारी दर्ज है। 1/3 हिस्सा की खातेदारी प्रार्थी के भाई दयानन्द व 1/3 हिस्सा की खतेदारी महेन्द्र के नाम दर्ज है। उक्त खसरा भूमि का विरासतन इन्तकाल दर्ज करते समय प्रार्थी का नाम मानसिंह की जगह मानाराम लिख दिया गया जबकि प्रार्थी का नाम मानसिंह पुत्र रामजस है।खतेदारी में सहवन से मानसिंह पुत्र रामजस की जगह मानाराम पुत्र रामजस दर्ज कर दिया गया जिसको दुरूस्त करवाने का प्रार्थी अधिकारी है। प्रार्थी को जब उपरोक्त खसरा की भूमि पर के. सी .सी. बनाने हेतु पटवारी हल्का से सम्पर्क किया व राजस्व रिकार्ड की नकले दिनांक 01.12.2020 को निकलवाई तो प्रार्थी को जानकारी हुई कि प्रार्थी के उक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 735 तादादी 18.56 हैक्टेयर वाकेरोही बिग्गाबास रामसरा के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत रूप से मानाराम पुत्र रामजस अंकित चला आ रहा है जो आगे चौसाला जमाबन्दियों में भी उक्त नाम चलता रहा जबकि प्राथी का सही व वास्तविक नाम शुरू से ही मानसिंह पुत्र रामजस रहा है। प्रार्थी कृषि पैशा व अनपढ़ व्यक्ति तथा कृषि पैशा व्यवित होने के कारण व कृषि कार्य में व्यस्त रहने के कारण कभी अपने राजस्व रिकार्ड को नहीं संभाला। प्रार्थी अनपढ़ व कृषि पैशा व्यक्ति है। प्रार्थी को राजस्व रिकार्ड में गलत अंकित चले आ रहे अपन नाम की कभी कोई जानकारी नहीं रही है। प्रार्थी को राजस्व रिकार्ड की नकले लेने पर ही सारी जानकारी हो पाई हैं। प्रार्थी के तमाम सरकारी दस्तावेज यथा राशन कार्ड निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र आधार कार्ड पैन कार्ड बैंक पास आदि में भी प्रार्थी का नाम मानसिंह पुत्र रामजस अंकित चला आ रहा है। प्रार्थी को अपने गांव व रिश्तेदारी परिवार आदि में मानसिंह पुत्र रामजस के नाम से जाना व पुकारा जाता है। सरपंच ग्राम पंचायत इन्दपालसर गुंसाईसर ने भी प्रार्थी के नाम के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र जारी कर रखा है। ग्राम कीतासर भाटियान अथवा अमृतवासी में मानाराम पुत्र रामज़स नाम का कोई व्यक्ति है, उक्त दोनों नाम [illegible] ही व्यक्ति के है जो प्रार्थी ही एकमात्र व्यक्ति है, उक्त दोनों नाम एक [illegible] प्रार्थी के नाम है। उपरोक्त सभी दस्तावेजातों की प्रमाणित प्रतियां [illegible] जी के समक्ष [illegible] की जा रही है। प्रार्थी उपरोक्त खसरा की भूमि के राजस्व रिकार्ड [illegible] अपना सही नाम [illegible]सिंह पुत्र रामजस

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:06:58 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

अंकित करवाने का कानूनन अधिकारी है। उपरोक्त खसरा भूमि में प्रार्थी का गलत नाम मानाराम पुत्र रामजस अंकित होने के कारण प्रार्थी को उपरोक्त खसरा भूमि पर के.सी.सी. बनाने, ट्यूब बनाने व अन्य कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है व प्रार्थी अपनी खातेदारी से ही वंचित रहा है। वर्णित खसरा भूमि में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत अंकित कर दिया गया है, इस बाबत प्रार्थी ने दिनांक 04.12.2020 को अप्रार्थी से निवेदन किया कि मेरा नाम मानसिंह है तथा मेरे तमाम सरकारी दस्तावेजों में भी मेरा नाम मानसिंह पुत्र रामजस चला आ रहा है परन्तु मौसला जमाबन्दियों में मेरा नाम गलत रूप से मानाराम पुत्र रामजस अंकित चला आ रहा है जिसे शुद्धिकरण कर मेरा सही नाम मानसिंह पुत्र रामजस अंकित कर देवें तो अप्रार्थी को कहा कि ऐसी गलती जिसको हम दुरूस्त नहीं कर सकते, इसलिए आप सक्षम न्यायालय से आदेश लेकर आओ, बिना आदेश के राजस्व रिकार्ड में आपका नाम रिकार्ड में शुद्धिकरण करना संभव नहीं है.इस प्रकार अप्रार्थी ने प्रार्थी के नाम की शुद्धिकरण करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। राजस्व रिकार्ड में उक्त संशोधन होने से अप्रार्थी के हितों पर कोई विपरीत असर नहीं पडेगा जबकि इसके विपरीत सही नाम दर्ज नहीं होने से प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। वर्णित खसरा भूमि ग्राम बिग्गाबास रामसरा तहसील श्रीडूंगरगढ़इ जिला बीकानेर में स्थित है इसलिए न्यायालय श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र की सुनवाई का पूर्ण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि:-

खेत खसरा नम्बर 735 तादादी 10.56 हैक्टेयर वाकेरोही बिग्गाबास रामसरा तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का गलत नाम मानाराम पुत्र रामजस अंकित हुआ है उसकी जगह मानसिंह पुत्र रामजस अंकित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में शुद्धिकरण करने का आदेश अप्रार्थी को दिया जावे और उसकी पालना अप्रार्थी से करवाई जावे। श्रीमानजी की अति कृपा होगी।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की तरफ से पैरोकार राज ने जबाब पेश किया। यदि प्रार्थी का नाम शुद्ध किया जाता है तो हमे कोई आपति नही है। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। स्टेट को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में कोई आपति नहीं होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खेत खसरा नम्बर 735 तादादी 18.56 हैक्टेयर वाकेरोही बिग्गाबास रामसरा तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का गलत नाम मानाराम पुत्र रामजस अंकित हुआ है उसकी जगह मानसिंह पुत्र रामजस नाम शुद्ध करने का आदेश तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ को दिये जाते है। तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ़ तदनुसार राजस्व रिकार्ड में शुद्धि करें।

आदेश आज दिनांक १०.३.२१ को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हों। आदेश सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:06:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)
सत्यमेव जयते

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)